प्रारूप – 30

(वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं |)

Form -1

(For Non-Linear Projects)

Govt. Of Uttarakhand

Office of The District Collector Dehradun

No: - 1499 **Dated :** 29-10-2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No – 11-9/98-FC(pt) dated 3rd Aug 2009wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA" , for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects , it is certified that **0.0425** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Bharat Sanchar Nigam Limited** (Name of User Agency) for **construction of Mobile Towers at three locations** in **Chandrabani beat comptt.-11 A & 11 C & Mohabbewala Beat comptt.-1** (Purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within the jurisdiction of **Asharodi Range** in **Dehradun** Tehsil.

It is further certified that :

a) the complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for all three locations amounting to 0.0425 hectares of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s) , Gram Sabha(s), Sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30.3.

b) the diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature

Encl: As above. (Full name & official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehradun

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

पत्रांक 1499 दिनांक 29/10/-2021

जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 (समय समय पर यथा संशोधित) के धारा -6 (5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 11-9/98-FC(PT) दिनांक 3/08/2009 & 21/12/2017 में जारी दिशा निर्देशानुसार जिलास्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 29-10-2021 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षथा में सम्पन हुई बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण उपस्थित हैं।

इस बैठक में जिला देहरादून के अंतर्गत आशारोड़ी R.T.O. चेक पोस्ट से डाट काली मन्दिर तक सड़क के किनारे तीन स्थलों पर मोबाइल टावर स्थापना करने हेतु 0.0425 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी के Right व Settlement के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श किया गया।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा- 6(3) के अनुसार ग्राम पंचायत के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा बैठक में दिनांक को विचार विमर्श कर नियम के अनुसार निस्तारण किया गया उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा- 6(3) के अनुसार उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीये समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 30-09-2021 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त समितियों के प्रस्तुत /आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तानांतरण में यह पाया गया हे की देहरादून वन प्रभाग की आशारोड़ी रेंज में आरक्षित वन में चिन्हित भू भागों पर वन अधिकार हेतु किसी अनुसार अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत है अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं हे।

बैठक में उपजिलास्तरीये समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून	जिलाधिकारी देहरादून

प्रतिलिपि: भारत संचार निगम लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

जिलास्तरीय समिति

भारत संचार निगम देहरादून द्वारा जिला देहरादून के विकास खंड रायपुर के अंतर्गत तीन स्थलों पर मोबाइल टावर लगाने हेतु 0.0425 हे0 वन भूमि व् शुन्य सिविल नाप भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी देहरादून द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29-10-2021 को आयोजित की गई जिसमे निम्न अधिकारी व् सदस्य उपस्थित हुए है।

अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
डॉ॰ आर॰ राजेश कुमार	जिलाधिकारी देहरादून	[signature] District Magistrate Dehradun
राजीव धीमान	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून	[signature] प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून
हेमलता पाण्डेय	जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	[signature] जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून
गीताराम तोमर	पार्षद / जिला पंचायत सदस्य	[signature] गीताराम तोमर सदस्य जिला नियोजन समिति सदस्य जिला पंचायत मंगरौली

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम .. .. जनपद देहरादून के अंतर्गत आशारोडी चेक पोस्ट से डाटकाली मन्दिर तक NH72A पर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु बीएसएनएल को वनभूमि हस्तांतरण स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत आशारोडी R.T.O. चैक पो० से डाटकाली तक तीन स्थलों पर मोबाइल टावर स्थापना हेतु (0.0425 हे0 आरक्षित वन भूमि, शुन्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शुन्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल – 0.0425 हे0 वन भूमि) का – भारत संचार निगम लि०. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून) की दिनांक 30.09.2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री मनीष कुमार — उपजिलाधिकारी—अध्यक्ष

2– श्री लाखन सिंह पंवार — उप प्रभागीय वनाधिकारी–सदस्य

3– श्रीमति आँचल बडवाल — सहायक समाज कल्याण अधिकारी–सदस्य / सचिव

4– श्री मोहन लाल गुरुङ — क्षेत्र –सदस्य

उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून

मोहन लाल गुरुंग पार्षद 90, मोहब्बेवाला, नगर निगम, देहरादून

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत आशारोडी R.T.O. चैक पो० से डाटकाली तक तीन स्थलों पर मोबाइल टावर स्थापना हेतु 0.0425 हे0 वन भूमि भारत संचार निगम लिमिटेड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई

48

मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत आशारोड़ी R.T.O. चैक पो० से डाटकाली तक तीन स्थलों पर मोबाइल टावर स्थापना परियोजना के निर्माण हेतु 0.0425 हे0 वन भूमि भारत संचार निगम लि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सदर
जनपद देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सदर
जनपद देहरादून

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम -- -- जनपद देहरादून के अंतर्गत आशारोड़ी चेक पोस्ट से डाटकाली मन्दिर तक NH72A पर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु बीएसएनएल को वनभूमि हस्तांतरण स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ......वार्ड – 90 (मोहब्बेवाला)......

तहसील ......देहरादून...... जिला ......देहरादून......

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

उत्तराखंड में जनपद देहरादून के अंतर्गत आशारोड़ी चेक पोस्ट से डाट काली मन्दिर तक NH72A पर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु (आरक्षित वन भूमि 0.0425 हे0 , सिविल सोयम भूमि 0.0 हे0, वन पंचायत भूमि 0.0 हे0) अतार्थ कुल 0.0425 हे0 वन भूमि का ...भारत संचार निगम लिमिटेड, देहरादून, उ०ख०... के पक्ष में भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया |

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत/ पार्षद .... द्वारा दिनांक ..28-09-2021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत कि बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा कि गयी | यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्ज़ा / कृषि कार्य है अथवा नहीं | * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्ज़ा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है | इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है |

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...वार्ड नं०-90.......... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ...भारत संचार नि० लि० देहरादून उत्तराखण्ड......प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है |

ह0 /-

ग्राम प्रधान

मोहन लाल गुरुंग
पार्षद
90, मोहब्बेवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 28-09-2021 को ग्राम सभा कि संपन्न बैठक कि उपस्थिति

ग्राम पंचायत / वार्ड नं० - 90, मोहब्बेवाला, देहरादून

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	तिलक कुमार	तिलक कुमार
2.	महेश कुमार	Mahesh
3.	धर्मेन्द्र	Dharmender
4.	मगन सिंह	मगन सिंह

ह0 /-

ग्राम प्रधान

मोहन लाल गुप्ता
पार्षद
90, मोहब्बेवाला, नगर निगम,
देहरादून